विविध बैंक प्र0सं0 79/2017 बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय जयपुर बनाम 1–मै0 मंगतराय एण्ड संस प्रो0 श्री मंगतराय पुत्र श्री जटटूराम आहूजा निवासी 50 तहबाजार निवासी मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 9 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर 2–श्रीमति आशा रानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी मकान न0 316 व 317, वार्ड न0 18 गली न0 09, इन्दिरा कोलोनी, श्रीगंगागर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.11.2017

प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी मै0 मंगतराय एण्ड संस प्रो0 श्री मंगत राय पुत्र श्री जटटू राम आहूजा निवासी 50 तह बाजार श्रीगंगानगर निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 20,00,000/– रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 05.01.2012 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी श्री मंगत राय द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.06.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी श्री मंगत राय की ओर दिनांक 01.18.2015 तक ऋण राशि 18,45,986.99–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 05.07.2016 को जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 20,00,000/–रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 05.01.2012 को अप्रार्थी ऋणी मै0 मंगतराय एण्ड संस प्रो0 श्री मंगत राय पुत्र श्री जटटू राम आहूजा निवासी 50 तह बाजार श्रीगंगानगर निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीयान को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 05.07.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीयान द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

चूंकि बैंक द्वारा अप्रार्थीयान ऋणी मै0 मंगतराय एण्ड संस प्रो0 श्री मंगत राय पुत्र श्री जटटू राम आहूजा निवासी 50 तह बाजार श्रीगंगानगर निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर व गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाये गये एवं व्यक्तिगत रूप से भी तामील करवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध धारा 13(2) के नोटिस की प्रतियों के अनुसार अप्रार्थी ऋणी श्री मंगत राय व गारन्टर श्रीमति आशारानी द्वारा नोटिस प्राप्त किये गये है परिणाम स्वरूप नोटिसों पर ऋणी श्री मंगत राय व गारन्टर श्रीमति आशा रानी द्वारा नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थीयान को नोटिस प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय जयपुर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 316 व 317 वार्ड न0 18 गली न0 09 इन्दिरा कोलोनी श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर